तारीख हुक्म	हुक्म या...
8/10/18	वकील फरीकैन उप० SDO लेख चुनाव कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 25/10/18 को पेश हो।
25/10/18	वकील फरीकैन उप० अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से वकील जवाब पेश करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इनका अवसर बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29/10/18 को पेश हो।
29/10/18	वकील फरीकैन उप० बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15/11/18 को पेश हो।
15/11/18	वकील फरीकैन उप० पूर्वानुसार दि० 26/11/18 को पेश हो।
26/11/18	वकील फरीकैन उप० बहस समाप्त हुई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 1/1/19 को पेश हो।
1/1/19	वकील फरीकैन उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। नकल नियमानुसार दी जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
18 / 16	अस्थायी निषेधाज्ञा	02.05.16	01.01.19

1. रूपलाल पुत्र बत्तीलाल जाति मीना निवासी बूकना तह0 सपोटरा जिला करौली।
2. बत्तीलाल पुत्र करमोला जाति मीना निवासी बूकना तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. जनकी पत्नि बत्तीलाल।
2. उर्मिला पत्नि मुकेश।
3. महेन्द्र पुत्र गजबी।
4. सरूपी बेवा गजबी।

जातिगण मीना निवासी बूकना तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थानं

5. शाखा प्रबन्धक पीएनबी शाखा सपोटरा जिला करौली।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली।
7. उप पंजीयक सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री कमरपाल मीना वकील प्रार्थीगण।
श्री शेरसिह वकील अप्रार्थी सं0 1
श्री कुजबिहारी शर्मा वकील अप्रार्थी सं0 2

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम बूकना तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 1181 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं0 1183 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात मे से अप्रार्थी सं0 1 के नाम विवादित आराजीयात को कय करके नाम करवा दी थी जिसमे प्रार्थी नं 01 जनकी पत्नि बत्तीलाल लिखवाया था लेकिन प्रार्थी सं0 1 ने राजस्व कर्मचारियों से साज करके जनकी बेवा बत्तीलाल करवा के दिनांक 25.04.2016 को अपने हिस्से की आराजीयात का वयनामा प्रार्थी सं0 2 के पक्ष मे करवा दिया है। जबकि प्रार्थी सं0 2 जीवित है। अप्रार्थी नं0 1 लल्लू खत्म होने के उपरान्त मीना जाति की रीति अनुसार नाते से आई थी। अप्रार्थी नं0 1 चतुर चालाक किस्म की औरत है। अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 25.04.2016 को अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष मे उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात मे से वयनामा करा दिया गया है जो कतई गलत है क्योंकि उक्त आराजीयात मुझ प्रार्थी के पिता बत्तीलाल की स्वर्जित सम्पत्ति है। प्रार्थी ने तहसीलदार सपोटरा के यहां दिनांक 02.05.2016 को नकल जमाबंदी एवं वयनामा ली तो मालुम हुआ कि अप्रार्थी नं0 1 ने अप्रार्थी नं0 2 के पक्ष मे वयनामा करा दिया है। इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 5 बावजूद तामील उपस्थित नही आये है इसिलए इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी सं0 3 व 4 द्वारा कोई जवाब पेश करना नही चाहने पर इनका जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 मे दर्ज आराजीयात मुझ अप्रार्थी सं0 1 की पुश्तैनी एवं खातेदारी की आराजीयात है प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नही है। प्रार्थीगण ने मन गढन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि खारिज होने योग्य है। मुझ अप्रार्थी सं0 1 लल्लू की पत्नि थी तथा लल्लू के फौत हो

उपखण्ड अधिकारी (तारामती वैष्णव)
सपोटरा, जिला–करौली

Scanned by CamScanner

जाने के बाद एक पुत्री व गर्भ मे एक पुत्र छोडकर फौत हो गया। लल्लू के फौत होने के बाद मुझ अप्रार्थी सं0 1 ने रूपलाल को गोद ले लिया तथा लल्लू पति की समस्त चल व अचल सम्पत्ति व आराजीयात मुझ अप्रार्थी नं0 1 के आने पर रूपलाल ने मुझ अप्रार्थी सं0 1 से गोद आने की एवज मे मेरी खातेदारी की आराजीयात को रूपलाल ने अपने नाम जरिये वयनामा करा लिया गया था क्योंकि मुझ अप्रार्थी नं0 1 का दत्तक पुत्र रूपलाल हो गया। लल्लू के फौत होने के उपरान्त 9 माह बाद मुझ अप्रार्थी सं0 1 के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम लोकेश था तथा इसके बाद मुझ अप्रार्थी सं0 1 बत्तीलाल के साथ पति पत्नि के रूप मे साथ साथ रहने लगे। 10–12 साल तक पति पत्नि के रूप मे हम दोनो अपना जीवन यापन गुजारते रहे। मुझ अप्रार्थी सं0 1 का पुत्र बडा होने पर मेरी खातेदारी की आराजी जो मेरे गोद पुत्र रूपलाल के नाम करवाई थी उसमे से मेरे पुत्र लोकेश के नाम 1/2 करा दी गई। इस प्रकार मुझ अप्रार्थी सं0 1 के दो पुत्र हो गये। 17–18 वर्ष की उम्र मे मेरा पुत्र लोकेश फौत हो गया। लोकेश के फौत हो जाने के बाद लोकेश की खातेदारी की आराजीयात मुझ अप्रार्थी सं0 1 के नाम विरासत से आ गयी। मुझ अप्रार्थी सं0 1 व वादी नं0 2 जो लल्लू के बाद मेरा पति था दोनो के मध्य बिगाड़ हो गया और हम अलग अलग रहने लगे। मेरी पुत्री की शादी करने पर मझ अप्रार्थी सं0 1 के उपर ऋण होने के कारण मेरी खातेदारी की आराजीयात को अप्रार्थी नं0 2 को बेचान कर दिया जो कि सही है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज होने योग्य है। क्योंकि अब प्रार्थी सं0 2 जो कि मेरा पति था, एवं मुझ अप्रार्थी सं0 1 के मध्य बिगाड़ हो जाने के कारण तथा मुझ अप्रार्थी सं0 1 की चल व अचल सम्पत्ति को हड़पने के कारण यह झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 2 ने जरिये वकील अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी नं0 1 लल्लू की विधवा वारिश है। लल्लू की फोत होने पर लल्लू की खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण वैध वारिश होने से अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व कर्मियों द्वारा वारिसयान नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। अप्रार्थी नं0 1 जनकी अपनी पति की मृत्यु के पश्चात् से आज दिन तक विधवा जीवन व्यतीत कर रही है। बत्तीलाल प्रार्थी सं0 2 से अप्रार्थी सं0 1 का किसी प्रकार का कोई वास्ता नही है। मुझ अप्रार्थी सं0 2 ने विवादित आराजीयात के खातेदारी हिस्से को अप्रार्थी नं0 1 से जरिये वयनामा शुद्वहस्त कय्र की है। बत्तीलाल का जनकी से कोई वास्ता नही है। मुझ अप्रार्थी नं0 2 की खातेदारी भूमि को जबरन हड़पने की गरज से मनगढन्त तथ्यों पर प्रार्थना पर पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी नं0 2 दर्ज विवादित आराजीयात की रिकार्डेड सहखातेदार हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी संबत् 2070–73 ग्राम बूकना के मुताबिक अप्रार्थी सं0 1 विवादित आराजीयात की रिकार्डेड सहखातेदार है, जिसे अपने हिस्से की भूमि को कय करने का अधिकार है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष मे साबित है। अप्रार्थी सं0 2 ने अप्रार्थी सं0 1 से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा कीमतन कय की है। विवादित आराजीयात की अप्रार्थी सं0 1 रिकार्डेड सहखातेदार होने एव अप्रार्थी सं0 2 द्वारा विवादित आराजीयात मे से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा कय करने से सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है। प्रार्थीगण के तथ्यों को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 01.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner